भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2144
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

न्यायिक नियुक्तियों पर कॉलेजियम की सिफारिश

2144. श्री राधाकृष्ण :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों की न्यायालय-वार संख्या कितनी है ;

(ख) कॉलेजियम की सिफारिश और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की अधिसूचना के बीच न्यायालय-वार औसतन कितना समय लगा है ;

(ग) आज की तारीख तक छह महीने में अधिक समय मे लंबित सिफारिशों की न्यायालय-वार संख्या कितनी है ; और

(घ) ऐसे लंबित मामलों में विलंब के संसूचित कारण क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और उच्चतम न्यायालय की 28 अक्टूबर, 1998 की सलाहकारी राय (तृतीय न्यायाधीश मामला) के साथ पठित उसके 6 अक्टूबर, 1993 के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में, 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया-ज्ञापन में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है ।

प्रक्रिया-ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का है, जबकि उच्च

न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने का उत्तरदायित्व, उच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का है । प्रक्रिया-ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्ति उदभूत पद होने से कम से कम 06 मास पहले सिफारिशें करना अपेक्षित है । तथापि, इस समय सीमा का अनुपालन बहुत कम होता है । उच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए, प्रक्रिया-ज्ञापन के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के विचार प्राप्त किए जाते हैं । सिफारिशों पर उन दूसरी रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए भी विचार किया जाना चाहिए, जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध हो सकती हैं । उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें, तब उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को परामर्श के लिए प्रेषित की जाती हैं । उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है । इसके लिए राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों पर, विभिन्न सांवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की जाती है । पिछले पांच वर्षों में, उच्च न्यायालयों में 608 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं ।
